न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

.....बनाम .....

विषय-वस्तु ..... 52/17 .....

दिनांक	
23/10/18	पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। अधि. प्रार्थी द्वारा जवाब पेश नहीं किए जाने का अवसर चाहा। न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया जाता है। अगली पेशी पर जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का हक खत्म। पत्रा. दिनांक 18/12/18 को पेश हो।
18/12/18	पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। अधि. प्रार्थी द्वारा जवाब अभी न पेश नहीं कर सीधे ही बहस सुने जाने का अनुरोध किया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष मूल प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। बहस अधि. प्रार्थी मुताबिक आवेदन बहीयत्व अधि. अप्रार्थी द्वारा आवेदन के तथ्यों का खण्डन किया गया। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के हितों का संरक्षण मूलपाठ के किया जाना है। दौरानेजाब विवादित भूमि के मौके व रिकॉर्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर प्रार्थी के हित प्रभावित हो सकते हैं तथा वाद बाहुल्यता बढ़ने की संभावना है, अतः विवादित भूमि के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का अप्रार्थीगण को आदेश किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी को स्वीकार किया जाता है तथा उभयपक्ष को बरिये अख्तार निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख. नं. 49 परकबा 1.73 हैक्टेयर वाके ग्राम कहारों की ढाणी तहसील व जिला सीकर की तादीरान वाद संख्या 52/2017 मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली मैसाल कुमार होकर नम्बर लिक्म हो, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर